प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 17.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2024 को वादी श्री लाल सिह पुत्र स्व0 तोताराम निवासी मसेवी रसूलपुर थाना मैनाठेर ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गांव के पास ही जगंल में वादी के पुत्र कपिल के साथ मारपीट करने, व किसी धारदार हथियार से वार करने जिससे काफी गम्भीर चोट आने और कपिल को बेहोशी की हालत में छोडकर चले जाने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 410/2024 धारा 115(2)/110 बी.एन.एस. -2023 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सफल अनावरण व संलिप्त अपराधियो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी, मुरादाबाद के पर्येवेक्षण में थाना मैनाठेर पर टीम गठित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.मनोज पुत्र

हेतराम, 2.रवि पुत्र हेतराम, 3.सुनील पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मसेवी रसूलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आये। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम दिनांक 16.12.2024 रात्रि में गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.मनोज पुत्र हेतराम, 2.रवि पुत्र हेतराम, 3.सुनील पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मसेवी रसूलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त मनोज पुत्र हेतराम उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद किया गया। साक्ष्यो व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 110 बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा- 118(1),109 बीएनएस एंव धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुलिस पूछताछ पर बताया कि हमारी कपिल व उसके परिवार वालो से पुरानी रंजिश व कहासुनी चल रही थी। कपिल मौहल्ले में अपनी दादागिरी चलाता था।इसी रंजिश के चलते हम तीनो ने योजना बनाई कि कपिल का काम तमाम कर देते है इसी फिराक में दिनांक 02.12.2024 की शाम के समय बहाने से रवि, कपिल को खेत की तरफ लेकर गया था वहाँ पर योजना के मुताबिक हम पहुँच गये और योजना के मुताबिक रवि और सुनील ने कपिल का मुँह दबाते हुए वही गिरा लिया था और मनोज ने चाकू से कपिल के ऊपर जान से मारने की नियत से कई वार किये जिससे वह गर्दन, गाल, माथा पर बुरी तरह घायल हो गया और कपिल वही नाली मे चकरोड के पास गिर गया। हम लोगो को पूर्ण विश्वास हो गया था कि वह मर गया है।और उसके बाद हम लोग अपने घर को आ गये थे। बाद मे पता चला कि कपिल जिन्दा बच गया। और उसके परिवार वालो ने थाने पर मुकदमा लिखा दिया। हमें डर था कि कपिल होश में आने पर हमारे नाम पुलिस को बता देगा। इसीलिये हम छिपते-छिपाते घूम रहे थे। जो चाकू हमने घटना में प्रयोग किया था वह मनोज ने बरामद करा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1.मनोज पुत्र हेतराम

2.रवि पुत्र हेतराम

3.सुनील पुत्र ओमप्रकाश समस्त निवासीगण मसेवी रसूलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी –

अभियुक्त मनोज पुत्र हेतराम की निशादेही पर (घटना में प्रयुक्त) एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 मनोज पंवार थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद,

2.उ0नि0 नवीन कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

3.हे0का0 प्रबल कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद,

4.का0 गिरिराज किशोर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद,

5.का0 मनीष भाटी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

2- गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित आरोपी गिरफ्तार थाना छजलैटः-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2024 को मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना छजलैट, मुरादाबाद नें साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु गौकशी जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0- 267/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम उस्मान आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व वांछित अपराधियो की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.12.2024 को निरीक्षक विरेन्द्र बहादुर सिंह थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस बल के उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उस्मान पुत्र अहसान निवासी ग्राम बसावनपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 92/2024 धारा 5क/8 गौवध अधि0 11 पुश क्रुरता अधि0 थाना छजलैट

2- मु0अ0सं0 267/2024 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यो के नामः-

1. निरीक्षक विरेन्द्र बहादुर सिंह थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।
2. उ0नि0 रामकुमार सोम थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।
3. हे0का0 नितिन थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।
4. का0 अमित कुमार थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।

3- अवैध चरस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी व नशे का अवैध कारोबार करने वाले संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.12.2024 को उ0नि0 निर्भान सिंह थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त राकेश उर्फ जमूरा पुत्र किशन निवासी सिहंमन हजारी गुलाबबाडी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध 550 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्त उर्फ जमूरा उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 722/2024 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- थाना मझोला पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 03 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.12.2024 को थाना मझोला पुलिस द्वारा आरोपीगण 1. रोहित पुत्र मदन कुर्मी निवासी लाइनपार थाना मझोला जिला मुरादाबाद, 2. नितिन पुत्र राजकुमार निवासी चाउ की बस्ती लाइनपार थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, 3. अभय पुत्र प्रमोद कुमार श्रीवास्तव निवासी लाइनपार थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।